समक्ष न्यायालयः- अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर (म०प्र०)

समक्ष-अनुज कुमार,

-::निर्णय की तारीख::-

(आज दिनांक 23.03.2023 को खुले न्यायालय में घोषित)

सत्र प्रकरण क्रमांक-48/2018

संस्थित दिनांक-17.12.2018

ई-फाईलिंग नंबर 1638/2018

सी०एन०आर०नं०-एम०पी० 1506-001925-2018

परिवादी	म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र देवरी (म०प्र०)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पी.एल. रावत अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. शमीम खान उर्फ बिटटू खान पिता यासीन खान उम्र-24 वर्ष 2. शाहरूख खान पिता यासीन खान उम्र-28 वर्ष दोनों निवासी रंगरेज मोहल्ला कौशल किशोर वार्ड थाना देवरी तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पवन मिश्रा अधिवक्ता

प्रारूप ड.

अपराध की तारीख	22.06.2018
प्र.सू.रि. की तारीख	23.06.2018
आरोप पत्र की तारीख	13.10.2018
आरोपों के विरचना की तारीख	03.09.2019
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	25.11.2019
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	21.03.2023

निर्णय की तारीख	23.03.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	23.03.2023

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध अवधि
1	शमीम खान उर्फ बिट्टू खान	23.07.2018	03.11.2018	294,506 भाग 2, 307, 323,323/34 भा.दं.सं.	दोषसिद्धि	निर्णय की कंडिका 53 के अनुसार	23.07.2018 से 03.11.2018
2	शाहरूख खान	23.07.2018	03.11.2018	294,506 भाग 2, 307/34, 323(2) काउंट, 323/34 भा.दं.सं.	दोषसिद्धि	निर्णय की कंडिका 53 के अनुसार	23.07.2018 से 03.11.2018

प्रारूप-च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 01	डॉ. निमिश पटैल	चिकित्सीय साक्षी

अ.सा. 02	उमाकांत दीक्षित	अन्य साक्षी
अ.सा.03	इकबाल खान	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 04	ईशाक खान	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.05	मुन्नी	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 06	इरफान	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.07	नीलेश लोधी	अन्य साक्षी
अ.सा.08	शैलेन्द्र सिंह	पुलिस साक्षी
अ.सा.09	आशिफ खान	अन्य साक्षी
अ.सा.10	जब्बार	अन्य साक्षी
अ.सा.11	महेन्द्र	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.01	शाहरूख खान	चक्षुदर्शी साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/ प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/अ.सा.1	एमएलसी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2/अ.सा.1	क्वेरी पत्र
3	प्रदर्श पी 3 /अ.सा.1	एमएलसी रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 4/अ.सा.1	सूचना मेमो
5	प्रदर्श पी 5/अ.सा.2	नजरी नक्शा
6	प्रदर्श पी 6/अ.सा.4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी 7/अ.सा.3	इकबाल खान के पुलिस कथन
8	प्रदर्श पी 8/अ.सा.6	नक्शा
9	प्रदर्श पी-09/अ.सा.6	मेमोरेण्डम कथन
10	प्रदर्श पी-10/अ.सा.6	जप्ती पत्रक
11	प्रदर्श पी-11/अ.सा.6	गिरफतारी पत्रक
12	प्रदर्श पी-12/अ.सा.6	मेमोरेण्डम कथन
13	प्रदर्श पी-13/अ.सा.6	जप्ती पत्रक
14	प्रदर्श पी-14 अ.सा.6	गिरफतारी पत्रक
15	प्रदर्श पी-15/अ.सा.6	जप्ती पत्रक
16	प्रदर्श पी-16/अ.सा.7	नीलेश लोधी के पुलिस कथन
17	प्रदर्श पी-17/अ.सा.8	गिरफतारी की सूचना
18	प्रदर्श पी-18/अ.सा.8	तहसीलदार देवरी को लेख पत्र

19	प्रदर्श पी-19 एवं पी-20/अ.सा.8	पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विधिविज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजी गयी जप्तशुदा सामग्री
20	प्रदर्श पी-21/अ.सा.8	डिस्चार्ज टिकिट
21	प्रदर्श पी-22/ अ.सा.8	सी.टी. स्केन रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी-23/अ.सा.8	एक्स-रे रिपोर्ट
23	प्रदर्श पी-24/अ.सा.9	आसिफ खान के पुलिस कथन
24	प्रदर्श पी-25/अ.सा.8	जप्तशुदा माल का परीक्षण प्रतिवेदन
25	प्रदर्श डी-1/अ.सा.6	इरफान के पुलिस कथन
26	आर्टिकल ए-1/अ.सा.8	बल्लम
27	आर्टिकल ए-2 एवं ए-3/अ.सा.8	कपडे

ख. प्रतिरक्षा

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी–2/ब.सा.1	अभियोग पत्र की सत्यप्रति
2	प्रदर्श डी–3/ब.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श की सत्यप्रति
3	प्रदर्श डी–4/ब.सा.1	एमएलसी फार्म प्रदर्श की सत्यप्रति
4	प्रदर्श डी–5/ब.सा.1	अपराध विवरण की सत्यप्रति
5	प्रदर्श डी–6/ब.सा.1	शालू उर्फ इकबाल का जप्ती पत्रक की सत्यप्रति
6	प्रदर्श डी–7/ब.सा.1	मुख्त्यार का जप्ती पत्रक प्रदर्श की सत्यप्रति
7	प्रदर्श डी–8/ब.सा.1	सूचना पत्र की सत्यप्रति
8	प्रदर्श डी–9/ब.सा.1	यासीन के कथन की सत्यप्रति
9	प्रदर्श डी–10/ब.सा.1	मुख्तार के कथन की सत्यप्रति

10	प्रदर्श डी–11/ब.सा.1	विक्की के कथन
11	प्रदर्श डी–12/ब.सा.1	शाहरूख के कथन
12	प्रदर्श डी–13/ब.सा.1	ईशाक का शपथ पत्र
13	प्रदर्श डी–14/ब.सा.1	इकबाल का शपथ पत्र

ग.

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	1	बल्लम
2	1	बांस का डंडा

1. अभियुक्त शमीम खान उर्फ बिटटू खान के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294,506 भाग 2, 307, 323 एवं 323/34(2) काउंट के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.2018 को रात 11:00 बजे के करीब इकबाल के घर के बाहर कौशल किशोर वार्ड देवरी आहतगण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्त शाहरूख के साथ सामान्य आशय बनाया जिसके अनुसरण में उसने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होता, उक्त दिनांक, समय व

स्थान पर सामान्य आशय के अनुसरण में उसने मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अनुसरण में आरोपी शाहरूख के द्वारा इकबाल, इरफान को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित।

2. अभियुक्त शाहरूख खान के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 307/34, 323(2)काउंट एवं 323/34 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.2018 को रात 11:00 बजे के करीब इकबाल के घर के बाहर कौशल किशोर वार्ड देवरी आहतगण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्त शमीम के साथ सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में शमीम ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अनुसरण में उसने इकबाल एवं इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अनुसरण में आरोपी शमीम ने मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

3. प्रकरण में अभियोजन साक्षी इकबाल खान (अ.सा.03), ईशाक खान (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05), इरफान (अ.सा.06), नीलेश लोधी (अ.सा.07), आसिफ खान (अ.सा.09), जब्बार (अ.सा.10) का आरोपीगण को जानना पहचानना एवं मुन्नी (अ.सा.05), इरफान (अ.सा.06), नीलेश लोधी

(अ.सा.07) एवं जब्बार (अ.सा.10) के आरोपीगण उनके मोहल्ले में उनके घर के पास रहना स्वीकृत तथ्य है।

4. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी इकबाल खान ने थाना देवरी में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.06.18 को रात करीब 8:00 बजे उसका शाहरूख खान से वातावरण हो गया था जो उसी बात पर से रात करीब 11:00 बजे शाहरूख खान, शमीम खान उसके घर के बाहर मादरचोद, बहनचोद की गंदी–गंदी गालियां देने लगे जो उसके पिता ईशाक खान ने गाली देने से मना किया तो शमीम खान ने उसके पिता ईशाक खान को लोहे की बल्लम से मारा जो दाहिने कंधा व सीना में बांये तरफ चोटें आई खून निकलने लगा एवं उसके चाचा इरफान बचाने गये तो शाहरूख खान ने उसके चाचा इरफान को लाठी मारी जो दाहिने कंधा में लगी एक लाठी और मारी जो सिर में लगी मुंदी चोट है एवं शाहरूख ने उसे भी लाठी मारी जो सिर में बांये तरफ लगी मुंदी चोट है व बांये काने के पीछे नोच लिया। उसकी मां मुन्नी बचाने आई तो शमीम ने धक्का दे दिया जिससे मां गिर पडी। मौका पर नीलेश लोधी एवं आसिफ खान थे जिन्होंने बीचबचाव किया तो दोनों बोले कि मादरचोद आज तो बच गये अबकी बार जान से खत्म कर देंगे। उसके पिता ईशाक को ज्यादा चोटें होने से वे लोग सीधे अस्पताल देवरी चले गये जो डॉक्टर ने उसके पिता ईशाक खान को सागर रेफर कर दिया जिनके साथ चाचा इरफान व मा मुन्नी भी सागर चली गयी। उसने देवरी में अपना इलाज कराया और रिपोर्ट करने थाना आया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना देवरी में अपराध क्रमांक 296/2018 अंतर्गत धारा 294,323,324,506,34 भा.दं.सं. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत ईशाक की मेडीकल रिपोर्ट की सीएचसी देवरी से क्योरी

कराई गयी जो डॉक्टर द्वारा अपनी क्वेरी में आहत को आई चोट खतरनाक हथियार से पहुंचाई जाना एवं प्राणघातक चोट होना लेख करने पर धारा 307 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34, 307 भा.दं.सं. का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण का अधिकार माननीय सत्र न्यायालय को होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अंतर्गत यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायालय से यह प्रकरण इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294,506 भाग 2, 307, 323 एवं 323/34(2) काउंट एवं अभियुक्त शाहरूख खान के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 307/34, 323(2)काउंट एवं 323/34 के तहत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये–समझाये गये। जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया, जिसके कारण उनकी प्ली लिखी जाकर विचारण शुरू किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना बताया है।

6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न हैंः–

(i) क्या अभियुक्तगण शमीम उर्फ बिटटू खान तथा शाहरूख खान ने दिनांक 23.06.2018 को रात 11:00 बजे के करीब इकबाल के घर के बाहर कौशल किशोर वार्ड देवरी आहतगण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(ii) क्या अभियुक्तगण शमीम उर्फ बिटटू खान तथा शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

(iii) क्या अभियुक्तगण शमीम उर्फ बिटटू खान तथा शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ईशाक की हत्या के प्रयास का सामान्य आशय बनाया जिसके अनुसरण में अभियुक्त शमीम खान ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते ?

(iv) क्या अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान तथा शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मुन्नी को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में अभियुक्त शमीम खान ने आहत मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

(v) क्या अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान तथा शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर इकबाल तथा इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में अभियुक्त शाहरूख खान

ने आहतगण इकबाल तथा इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

(vi) दोषसिद्धि तथा दंडादेश ? यदि कोई हो ?

–:विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 लगायत 05 का निष्कर्ष:–

7. ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.06.2018 आरोपी शमीम लोहे का बल्लम एवं शाहरूख लाठी लिये थे और लड़की–बिटिया की गालियां दे रहे थे और वह उन्हें गाली देने से रोकने के लिये गया तो शमीम ने उसे बल्लम से मारा था जिससे उसे सीने में बांयी तरफ एवं दाहिने कंधे में चोट आयी थी, जब उसका भाई इरफान एवं उसका लड़का इकबाल उसे बचाने आये तो शाहरूख ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की थी और जब उसकी पत्नि मुन्नी वहां आयी थी तो आरोपीगण ने उसे धक्का दे दिया था। उक्त बिन्दु पर आहत ईशाक खान (अ.सा.04) के अभिसाक्ष्य का समर्थन इकबाल (अ.सा.03), ईशाक खान (अ.सा.04) की पत्नि मुन्नी (अ.सा.05), इरफान(अ.सा.06) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

8. ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन भी किया है कि घटना के बाद वह अपने लड़के इकबाल और भाई इरफान के साथ शासकीय अस्पताल देवरी गये थे, जहां पर उसे सागर रिफर कर दिया था। वह सागर में मेडीकल कॉलेज में एक दिन रहा था और वहां से उसे नागपुर इलाज हेतु उसके लड़के लेकर चले गये थे, उसका नागपुर में करीब दस दिन इलाज चला था। उसने पुलिस को घटना के बारे में बता दिया था। इसी आशय का कथन इकबाल (अ.सा.03) और इरफान (अ.सा.06) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। ईशाक खान (अ.सा.04) के उक्त कथन की पुष्टि डॉ. निमिश पटैल

(अ.सा.01) के अभिसाक्ष्य से भी हो रही है जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2018 को सीएचसी देवरी में आहत इकबाल अपने साथ ईशहाक को चिकित्सालय लेकर आया था जिसके द्वारा आहतगण को आई हुई चोटें झगडे के कारण आई होना बताया था।

9. ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में विवाद के समय चोट लगने से बेहोश होने, आरोपीगण के साथ उन लोगों (आहतगण) द्वारा मारपीट कर भागने तथा भागते समय गिर जाने से नुकीली वस्तु उसे लगने से चोट आने, उसी चोट का लाभ लेकर आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट करने, आरोपी शाहरूख व शमीम द्वारा उसके साथ कोई मारपीट न करने के सुझावों से इंकार किया है। ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वे लोग घटना दिनांक को शाहरूख व शमीम के घर लाठियां लेकर गये थे तथा उन लोगों ने आरोपीगण के घर जाकर गाली गलौच की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उन लोगों ने आरोपीगण के साथ मारपीट की थी।

10. ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से भी इंकार किया कि उन लोगो ने आरोपीगण के विरूद्ध राजीनामा करने के संबंध में शपथपत्र भी लेख कराया था साक्षी ने स्वतः कथन किया कि शपथपत्र पर कुछ नहीं लिखा था, केवल हस्ताक्षर किये थे तथा उन लोगों ने शपथपत्र में यह बात लेख करायी थी कि उसे गिरने से बांये तरफ सीने में एवं बांये हाथ की भुजा में किसी नुकीली वस्तु से चोट आ गयी थी। ईशाक खान (अ.सा.04) ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि रात के 11 बजे घटना के समय अंधेरा था, साक्षी ने स्वतः कथन किया कि लाईट जल रही थी, उजाला था तथा अंधेरा होने के कारण वह

नहीं देख पाया था कि उसके साथ किसने मारपीट की, साक्षी ने स्वतः कथन किया कि उसने देख लिया था। इस साक्षी ने स्वतः यह भी कथन किया है कि शमीम ने उसे बल्लम से मारपीट की थी एवं उसके भाई व लड़के के साथ लाठी से मारपीट की थी। साक्षी ने पुनः कहा कि शाहरूख ने भाई व लड़के को लाठी से मारा था। ईशाक खान (अ.सा.04) ने इस सुझाव से भी इंकार किया उसके साथ कोई घटना नहीं हुयी है।

11. इकबाल (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन भी किया है कि आरोपी शाहरूख ने उसे और उसके चाचा इरफान को लाठी से मारपीट की थी, लाठी से उसे पीठ में एवं इरफान को भी पीठ में चोट आयी थी। घटनास्थल पर उसकी अम्मी मुन्नी आ गयी थी, जिन्हें भी आरोपीगण ने धक्का–मुक्की कर दी थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके चाचा इरफान और वह, ईशाक को बचाने जाने पर आरोपी शाहरूख द्वारा उन लोगों को लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाये जाने और उसे बांये कान के नीचे नौंच देने के सुझावों को स्वीकार किया है।

12. इकबाल खान (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब उसके पिता आरोपीगण को गाली गलौच करने से रोक रहे थे, तब आरोपीगण ने उन्हें बल्लम मार दी थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया उसके पिता आरोपीगण के घर गये थे। इकबाल खान (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके पिता को भागते हुये रास्ते में गिर जाने से सीने में बांये तरफ एवं बांये हाथ की भुजा में नुकीली वस्तु लग जाने से चोटें आने, शमीम व शाहरूख द्वारा उसके पिता ईशाक के साथ कोई मारपीट नहीं करने के सुझावों से इंकार किया है। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि किस आहत को किस

आरोपी के द्वारा चोट पहुंचायी गयी थी वह नहीं बता सकता, स्वतः कथन किया कि शमीम के द्वारा उसके पिता ईशाक को लोहे की बल्लम से चोट पहुंचायी गयी थी, उसे व उसके चाचा इरफान को शाहरूख ने लाठी से चोट पहुंचायी थी।

13. मुन्नी (अ.सा.05) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन भी किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ भी धक्का मुक्का किया था एवं उसके देवर इरफान जब उसके पति ईशाक को बचाने गये थे तो शाहरूख ने उसे सिर में तथा पीठ में डंडे से मारपीट की थी एवं इकबाल जब बीच बचाव कर रहा था तो शाहरूख ने इकबाल को भी दो डंडे मार दिये थे, जो उसे सिर में एवं कंधे के पास लगा था एवं उसे शाहरूख ने नोंच दिया था एवं वह जब बीच बचाव कर रही थी तो शमीम एवं शाहरूख ने धक्का मुक्की कर दी थी। मुन्नी (अ.सा.05) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि विवाद होने के बाद आरोपीगण उसके घर के रास्ते से अपने घर जा रहे तथा दोनों आरोपीगण उसके घर के सामने पहुंचे थे तो ईशाक एवं इकबाल ने शमीम एवं शाहरूख के साथ मारपीट की थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि जब उसके पति वहां से भागे थे तो उनको गिरने से वहां पड़ी रॉड सीने में लग गयी थी, जिससे उन्हें चोट आयी थी।

14. इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को भाभी मुन्नी बाई को शाहरूख ने धक्का मार दिया था एवं इकबाल के साथ आरोपी शमीम एवं शाहरूख ने मारपीट की थी और उसके साथ नोंचा नाची कर दी थी, जिससे उसे गले के पास चोटें आयी थी। वह घटना के समय पास में ही था। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जब वह बीच–बचाव कर रहा था तब

आरोपी शमीम ने उसे लाठी मारी थी, जो उसे कंधे में लगी थी, साक्षी ने स्वतः कथन किया कि दाहिने कंधे में लगी थी।

15. इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में मौका नक्शा प्रदर्श पी–8 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने घटना के दो दिन बाद पुलिस के घटनास्थल पर आकर मौका नक्शा प्रदर्श पी–8 तैयार करने, उसके द्वारा पुलिस को घटना के बारे में घटनास्थल पर बताये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पटवारी घटनास्थल पर आये थे और उन्होंने उसके समक्ष मौका नक्शा प्रदर्श पी–5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। उमाकांत दीक्षित (अ.सा.02) ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी इरफान के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 तैयार करने का कथन किया है। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 22.06.18 की है तथा घटना की रिपोर्ट इकबाल ने उसी दिन की थी।

16. इरफान (अ.सा.06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि शाम 8:00 बजे की घटना के समय वह आरोपीगण के पास ही था। घटना के समय आरोपी शमीम और शाहरूख मस्जिद के पास रोड पर खड़े थे। इरफान (अ.सा.06) ने अपने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सल्लू और इकबाल के विरूद्ध भी इस न्यायालय में आरोपीगण के साथ मारपीट का मामला चल रहा है। इस साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह चिल्लाने की आवाज सुनकर बाद में मौके पर पहुंचा था तथा ईशाक उसे बेहोशी की हालत में

मिले थे। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि ईशाक खान जब भागकर अपने घर आये थे तब गिर जाने से उसके सीने में चोट आयी थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी।

17. न्यायदृष्टांत **भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2011 सु०को० 2552** में यह प्रतिपादित किया गया है कि, आहत साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो, जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभाष या कमी के रूप में हो सकते हैं। न्यायदृष्टांत **अब्दुल सैययद बनाम म०प्र० राज्य (2010) 10 एस०सी०सी० 259** में यह अवधारित किया गया है कि आहत साक्षी के साक्ष्य का विधि में एक विशेष स्तर होता है क्योंकि उस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति की इनबिल्ट गारंटी रहती है और साक्षी वास्तविक अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को मिथ्या आलिप्त करेगा, इसकी संभावना भी कम रहती है, इस कारण आहत साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि अच्छे आधार उसके साक्ष्य को तिरस्कृत करने के लिए अभिलेख पर न हो।

18. इस प्रकार फरियादी/आहत इकबाल (अ.सा.03), आहतगण ईशाक खान (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05), इरफान(अ.सा.06) का परिसाक्ष्य आरोपी शमीम उर्फ बिटटू खान द्वारा ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में करने कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता एवं अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान द्वारा मुन्नी को धक्का देकर गिराकर साधारण उपहति कारित करने तथा अभियुक्त शाहरूख खान द्वारा मुन्नी, इकबाल एवं इरफान को साधारण उपहति कारित करने के संबंध में

सुस्पष्ट है और बचाव पक्ष द्वारा किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण के पश्चात भी इन साक्षियों के परिसाक्ष्य में ऐसी कोई तात्विक विसंगति उदभूत नहीं हुई है जिससे उनके परिसाक्ष्य का तिरस्कार किया जाये।

19. डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2018 को सीएचसी देवरी में आहत इकबाल अपने साथ ईशहाक को चिकित्सालय लेकर आया था जिसके द्वारा आहतगण को आई हुई चोटें झगडे के कारण आई होना बताया था। उसने आहत ईशहाक का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें पाई थी–चोट क्रमांक 1– आहत ईशहाक के दांये कंधे पर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 2 सेमी गुणित 02 सेमी गुणित 02 सेमी का था। चोट क्रमांक 2– आहत ईशहाक को छाती में बांये तरफ आर्मपिट के पास एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 02 सेमी गुणित 02 सेमी गुणित 02 सेमी का था। इस साक्षी के अभिमत अनुसार आहत ईशहाक को कारित चोटें धारदार वस्तु से कारित होना प्रतीत हो रही थी तथा चोट क्रमांक 1 साधारण तथा चोट क्रमांक 2 गंभीर प्रकृति की थी। इस साक्षी के अनुसार आहत को चोट क्रमांक 2 के कारण उसके फेफडे में हवा भर गयी थी। इस साक्षी ने आहत की एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी.–01 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का भी कथन किया है। डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन किया है कि आहत ईशहाक के संबंध में थाना देवरी के क्वेरी पत्र दिनांक 24.07.18 प्र.पी.–02 के संबंध में उसके द्वारा पुलिस द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत लोहे की रॉड का अवलोकन कर यह पाया था कि उक्त लोहे की रॉड से आहत को चोट आना संभव है। उसके मत में उक्त लोहे की रॉड खतरनाक हथियार होकर जीवन के लिये घातक प्रकृति की है।

20. डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उसने आहत इकबाल का परीक्षण पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं– चोट क्रमांक 1– आहत को माथे पर बांयी ओर 02 सेमी गुणित 02 सेमी आकार की सूजन थी। चोट क्रमांक 2– आहत को बांये कान के पीछे तरफ 02 सेमी गुणित 01 सेमी आकार की सूजन थी। इस साक्षी के अभिमत अनुसार आहत को कारित उक्त चोटें कडी एवं मौथरी वस्तु से कारित होना प्रतीत होती है। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं। इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी–03 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करने के साथ यह कथन भी किया है कि उसने आहतगण के ईलाज हेतु उपस्थित होने पर पुलिस को सूचना मेमो प्र.पी.–04 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21. इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर आहत ईशाक को निर्माणाधीन मकान की नीव में निकली हुई लोहे की रॉडों पर अचानक गिरने तथा आहत इकबाल को भागते हुए गिरने से चोटें आने का कथन किया है कि डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ''आहत ईशहाक को आई हुई चोटें किसी निर्माणाधीन मकान की नीव में निकली हुई लोहे की रॉडों पर अचानक गिरने से आना संभव है तथा आहत इकबाल को आई हुई चोटें भागते हुए गिरने से आना संभव है।'' तर्क पर विचार किया गया। आहत ईशाक खान (अ.सा.04) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा आहत इशाक को निर्माणाधीन मकान की नीव में निकली हुई लोहे की रॉडों पर अचानक गिरने तथा आहत इकबाल के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा आहत इकबाल को भागते हुए गिरने से चोट आने संबंधी कोई

सुझाव नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में इस सुझाव से इंकार किया है कि भागते समय गिर जाने उसे नुकीली वस्तु लग गयी थी। इकबाल खान (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके पिता आहत ईशाक खान को भागते हुए रास्ते में गिर जाने से तथा नुकीली वस्तु लग जाने से चोट आने के सुझाव से इंकार किया है। उपरोक्त विवेचना से अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत बचाव स्वीकार योग्य नहीं है।

22. इस प्रकार डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आएं हैं, जिससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त हो, तदनुसार चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

23. नीलेश लोधी (अ.सा.07) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 26.06.2018 को वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था कि रास्ते में शमीम खान लोहे की बल्लम लिए हुए थे और ईशाक खान के साथ मारपीट कर रहे थे, जब वह पहुंचा था तब मारपीट हो चुकी थी। उसने यह नहीं देखा किसने किसको किस चीज से मारपीट किया था। उसने बीच–बचाव किया था। पुलिस ने कार्यवाही की थी और उससे हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर नीलेश लोधी (अ.सा.07) ने आहत ईशाक खान द्वारा पुलिस को उसके सामने घटना के समय पहनी हुई बनियान जिसमें खून के दाग लगे हुए थे पेश कर जप्त कराने, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–15 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होने के सुझाव को स्वीकार किया है। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि रात करीब 11:00 बजे शाहरूख खान एवं शमीम खान इकबाल के घर के बाहर मादरचोद बहनचोद की गंदी–गंदी गालियां देने लगे, जो इकबाल के पिता ईशाक खान ने गाली देने से मना किया तो

शमीम खान ने ईशाक खान को लोहे की बल्लम से मारा था, जो दाहिने कंधा एवं सीने में बांयी तरफ चोट आयी थी और खून निकलने लगा था तथा इकबाल बचाने गया तो शाहरूख ने इकबाल को लाठी मारी जो इकबाल के दाहिने कंधे में लगी, दूसरी लाठी मारी जो सिर में लगी, मूंदी चोट आयी थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि बांये कान के बाजू में नोंच लिया था तथा इकबाल की मम्मी उन्हें बचाने आयी थी तो शमीम ने उन्हें धक्का दे दिया था, जिससे वे मौके पर गिर गयी थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आशिक खान और उसने बीच बचाव किया था एवं आरोपीगण जाते–जाते कह रहे थे कि आज तो बच गये आगे मिले तो जान से खत्म कर देंगे।

24. नीलेश लोधी (अ.सा.07) ने अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना घटित होने के बाद पहुंचा था तथा किस आरोपी ने किस आहत को किस चीज से मारा था उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नीलेश लोधी (अ.सा.07) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आसिफ खान (अ.सा.09) ने अपने मुख्य परीक्षण में मात्र नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए यह कथन किया है कि उसे आहतगण एवं आरोपीगण के बीच विवाद की कोई जानकारी नहीं है।अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने पर इस साक्षी ने अभियोजन के किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार साक्षीगण नीलेश लोधी (अ.सा.07) तथा आसिफ खान (अ.सा.09) की अभिसाक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

25. महेन्द्र (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी इकबाल खान द्वारा अभियोजन प्रकरण के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 लेख कराने तथा रिपोर्ट लेख किये जाने के पश्चात फरियादी को पढ़कर सुनाये जाने एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 फरियादी तथा उसके (साक्षी) के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने मुख्य परीक्षण में घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–8 साक्षीगण की निशानदेही पर तैयार करने, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने, पटवारी द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा बनवाये जाने हेतु तहसीलदार देवरी को पत्र प्रदर्श पी–18 लेख करने, आहत को आई हुई चोटों के इलाज के दौरान मेडीकल डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी–21, सी.टी. स्केन रिपोर्ट प्रदर्श पी–22, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 प्रकरण में संलग्न करने, आहत को आई चोटों के संबंध में डॉक्टर का अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रदर्श पी–2 लेख करने तथा डॉक्टर द्वारा उक्त पत्र पर ही अपने अभिमत रिपोर्ट लेख करने का कथन किया है।शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन भी किया है कि परीक्षण हेतु भेजे गये जप्तशुदा माल का परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 25 है, जिसके ए से ए भाग पर वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एस.के वर्मा एवं बी से बी भाग पर डॉ. पी.एल. बर्मन के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा है।

26. शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन भी किया है कि दिनांक 23.07.18 को आरोपी शमीम उर्फ बिट्टू खान ने साक्षी इरफान एवं जब्बार के समक्ष "मैंने दिनांक 22.06.18 को ईशाक खान को बल्लम से मारा था, वह बल्लम मैंने अपने घर के उपर छत पर छिपाकर रखी है, चलो चलकर दिए देता हूं" का कथन मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 लेख कराया था।

शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष आरोपी शमीम खान के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार एक लोहे की बल्लम जिसमें लकड़ी का बेंत लगा हुआ था (आर्टिकल ए-1) पेश कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 के अनुसार जप्त करने, उक्त दिनांक को ही उक्त साक्षियों के समक्ष आरोपी शमीम को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी 11 तैयार करने का कथन भी किया है।

27. शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन भी किया है कि दिनांक 23.07.18 को आरोपी शाहरूख खान ने साक्षी इरफान एवं जब्बार के समक्ष "दिनांक 22.06.2018 को जिस लाठी से मैंने इरफान एवं इकबाल को मारा था, वह लाठी मैंने अपने घर के उपर छत पर छिपाकर रखी है, चलो चलकर दिये देता हूं" का कथन मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-12 लेख कराया था। शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने उक्त दिनांक को ही उक्त साक्षियों के समक्ष आरोपी शाहरूख खान के मेमोरेण्डम कथन अनुसार एक बांस का डण्डा पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 13 के अनुसार जप्त करने, उक्त दिनांक को ही उक्त साक्षियों के समक्ष आरोपी शाहरूख को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी 14 तैयार करने, आरोपीगण की गिरफतारी की सूचना प्रदर्श पी-17 उनके परिजनों को देने का भी कथन किया है। शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 17.07.18 को ईशाक खान द्वारा साक्षी नीलेश एवं इरफान के समक्ष एक सफेद रंग की सेंडों बनियान डिक्सी कंपनी की जिस पर खून के धब्बे लगे हुए एवं क्रीम कलर की फुल बाजू की शर्ट, जिसकी बांयी बाजू में बांयी तरफ कट लगा हुआ, जिसके जेब की सिलाई निकली हुई थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-15 के अनुसार जप्त करने का भी कथन किया है।

28. इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी शमीम उर्फ बिट्टू का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–9, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–11 तथा आरोपी शाहरूख का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–12, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–14 एवं ईशाक का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–15 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उससे जांच के हस्ताक्षर कराये थे। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने दिनांक 17.07.18 को जब ईशाक ईलाज करवाकर नागपुर से वापस आ गया था, तब उसकी सेंडों बनियान एवं क्रीम कलर की फुल शर्ट, जिसमें खून लगा था एवं जेब के पास कट था की जप्ती ईशाक से की थी एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–15 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 23.07.18 को आरोपी शमीम को पुलिस ने पकड़ लिया था और गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी 11 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे।

29. इरफान (अ.सा.06) ने आरोपी शमीम उर्फ बिट्टू द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी 09 के अनुसार तथा आरोपी शाहरूख द्वारा मोरेण्डम प्रदर्श पी–12 के अनुसार मेमोरेण्डम कथन देने के अभियोजन के सुझाव से इंकार करते हुए पुलिस द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–9, मोरेण्डम प्रदर्श पी–12 पर उसके हस्ताक्षर कराये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस आरोपी शमीम उर्फ बिट्टू को दिनांक 23.07.18 को उसके घर लेकर गयी थी और आरोपी शमीम उर्फ बिटटू ने घर से एक लोहे का बल्लम जिसमें लकड़ी का

बेंत लगा था पुलिस को दिया था और पुलिस ने बल्लम की जप्ती कर जप्ती प्रदर्श पी–10 तैयार किया था और ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये थे तथा पुलिस ने दिनांक 23.07.18 को आरोपी शाहरूख को गिरफतार किया था और गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–14 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। इरफान (अ.सा.06) ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि दिनांक 23.07.18 को पुलिस आरोपी शाहरूख को लेकर कौशल किशोर वार्ड देवरी स्थित उसके घर लेकर गयी और आरोपी शाहरूख के द्वारा पुलिस को एक बांस का डण्डा दिया गया था और पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे।

30. जब्बार (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–9 एवं पी–10 के अनुसार आरोपी शमीम एवं शाहरूख के द्वारा मेमोरेण्डम कथन देने, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 तथा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 के अनुसार आरोपी शमीम द्वारा उसके समक्ष लोहे की बल्लम एवं आरोपी शाहरूख द्वारा बांस का डंडा जप्त कराने एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–11 एवं प्रदर्श पी–14 के अनुसार उसके समक्ष आरोपी शमीम एवं आरोपी शाहरूख को गिरफतार किये जाने के सुझाव से इंकार किया है, परंतु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–9, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–11 एवं प्रदर्श पी–14 पर अपने हस्ताक्षर होने के सुझावों को स्वीकार किया है।

31. शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी शमीम एवं शाहरूख के मेमोरेण्डम कथन अपने

मन से लेख किये थे तथा जप्ती पत्रक एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–10 लगायत पी–14 असत्य तैयार किये हैं। इस प्रकार शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) द्वारा ईशाक खान (अ.सा.04) के पेश करने पर घटना के समय आहत ईशाक खान द्वारा पहनी हुई रक्त रंजित बनियान एवं शर्ट, आरोपी शमीम द्वारा लोहे की बल्लम एवं आरोपी शाहरूख द्वारा बांस का डंडा जप्त कराने का समर्थन इरफान (अ.सा.06) के साक्ष्य से हो रहा है।

32. यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पुलिस के साक्षियों की साक्ष्य तर्कसंगत और विश्वास किए जाने योग्य है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है और केवल उनके पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी होने से उनकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाए गए हैं, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त की पुलिस से कोई पूर्व से रंजिश थी जिससे उसे असत्य रूप से आलिप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त सामग्री जप्त की है, जिससे उनके कथन को पूर्ण रूप से त्यक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है, बल्कि उनकी साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना आवश्यक है।

33. **न्याय दृष्टान्त करमजीत सिंह बनाम राज्य (2003) 5 एस.सी.सी. 291** में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी के साक्ष्य के समान महत्व दिया जाना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, पुलिस के मामले में भी लागू होता है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक कि अच्छे आधार पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर सन्देह किए जाने के लिए मौजूद न हों।

उपरोक्त संकलित विवेचना तथा न्यायदृष्टांत के आलोक में शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिनसे उनके इस कथन पर अविश्वास किया जा सके कि उसके द्वारा आहत ईशाक खान से पहने हुए रक्त लगी शर्ट एवं बनियान तथा आरोपीगण के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त बल्लम एवं डंडा की जप्ती नहीं हुई है।

34. अब यह देखना है कि ईशाक खान द्वारा प्रस्तुत करने तथा आरोपी शमीम खान के प्रगटन कथन से जो वस्तु जप्त की गयी हैं, क्या उन पर मानव रक्त था तो इस संबंध में अभियोजन ने राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.पी.–25 पेश किया है। प्र.पी.–25 में आहत ईशाक खान से जप्त शर्ट, बनियान पर मानव रक्त तथा आरोपी शमीम खान से जप्त बल्लम पर रक्त पाया गया है, परंतु जप्तशुदा बल्लम पर धब्बे विघटित होने के कारण रक्त समूह और प्रजाति ज्ञात नहीं की जा सकी है। **राजा उर्फ राजिन्दर बनाम हरियाणा राज्य 2015 (3) सी.सी.एस.सी.1668 एस.सी** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि– रक्त रंजित कपड़े एवं हथियार– चाकू, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पास भेजे गये थे। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट यही दर्शित करती है कि रक्त के धब्बे कपड़े एवं चाकू पर पाये गये थे, यह सच है कि रक्त समूह का कोई मिलान नहीं हुआ, जैसे भी इससे वर्तमान मामलों के तथ्यों में अंतर नहीं पड़ेगा। अभियुक्त ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कैसे चाकू पर रक्त पाया गया था। अभियुक्त को इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण तो देना था कि कैसे मानव रक्त इस हथियार पर आया। अभियुक्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, यह प्रगटन सकारात्मक रूप से अभियोजन मामले को ही अग्रसारित करेगा। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जप्त बल्लम पर रक्त था, परंतु रक्त के विघटन के कारण रक्त

समूह साबित नहीं हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि विवेचना अधिकारी द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती की जो कार्यवाही की गयी है, वह दुर्भावना या किसी रंजिश के कारण की गयी है। स्पष्टीकरण के अभाव में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो रक्त बल्लम पर एवं मानव रक्त शर्ट तथा बनियान पर पाया गया है वह आहत ईशाक खान का था, जो कि उनके प्रगटन कथन से प्रमाणित होता है। इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी अभियोजन का समर्थन हो रहा है।

35. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन करते हुए कि इकबाल खान (अ.सा.03) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने जिस दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कराये थे, उन पर क्या लिखा है, उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे तथा वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने कितने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कराये थे एवं पुलिस ने किस तारीख को बयान लिये थे। इरफान (अ.सा.06) ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 22.09.2018 की है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय न होने का भी तर्क किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त क्षमता, निरीक्षण क्षमता तथा घटना को दोहराने की क्षमता आदि में अंतर होता है जिसके कारण विरोधाभाष व लोप आता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर साक्ष्य में साबित रूप से समरूपता है तथा चिकित्सकीय साक्षी द्वारा पुष्टि हो गई हो, उक्त परिस्थितियों में लघु प्रकृति की भिन्नतायें अभियुक्त की सहायता नहीं कर सकती है। केवल वह विरोधाभाष जो मूल घटना को प्रभावित करते हों और मामले की जड़ तक जाते हैं उन्ही से किसी साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। प्रकरण में इकबाल खान (अ.सा.03)

तथा इरफान (अ.सा.06) के कथनों में इस प्रकार का विरोधाभाष नहीं आया है जो मामले की जड़ तक जाता हो या मूल घटना को प्रभावित करता हो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

36. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि इकबाल (अ.सा.03), ईशाक (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05) एवं इरफान (अ.सा.06) की साक्ष्य परस्पर रिश्तेदार होकर हितबद्व साक्षी होने के कारण अपवर्जित किया जाना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र रिश्तेदारी किसी साक्षी के साक्ष्य को तिरस्कृत करने या उसे अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है। इसके विपरीत निकट का रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष को लिप्त करने में अनिच्छुक होता है। अतः इकबाल (अ.सा.03), ईशाक (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05) एवं इरफान (अ.सा.06) का साक्ष्य केवल इस आधार पर अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

37. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने फरियादी द्वारा उनके साथ की गयी मारपीट की कार्यवाही से बचने के लिये फंसाये जाने का भी तर्क किया गया है। इस संबंध में शाहरूख (ब.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 22.06.2018 के रात 8:00 बजे जब वह आहतगण शालू उर्फ इकबाल तथा मुख्तार के घर के सामने से निकला तो मुख्तार ने उसे सिर में लाठी मारी और शालू उर्फ इकबाल ने उसके दाहिने हाथ में हंसिया से मार दिया था आहतगण ने उसके साथ मारपीट की थी फिर वह अपने भाई शमीम को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाना गया था जहां से पुलिस उसे इलाज हेतु अस्पताल लेकर गयी थी तथा अस्पताल से वापिस आकर रिपोर्ट लेख कराई थी। इस साक्षी ने अपने समर्थन में अभियोग पत्र प्र.डी-2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी-3,

एमएलसी फार्म प्रदर्श डी–4, अपराध विवरण प्रदर्श डी–5, शालू उर्फ इकबाल का जप्ती पत्रक प्रदर्श डी–6, मुख्त्यार का जप्ती पत्रक प्रदर्श डी–7, सूचना पत्र प्रदर्श डी–8, कथन यासीन प्रदर्श डी–9, कथन मुख्तार प्रदर्श डी–10, कथन विक्की प्रदर्श डी–11, शाहरूख के कथन प्रदर्श डी–12, ईशाक का शपथ पत्र प्रदर्श डी–13, इकबाल का शपथ पत्र प्रदर्श डी–14 की सत्यप्रति प्रस्तुत की गयी।

38. इकबाल (अ.सा.03), ईशाक (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05), इरफान (अ.सा.06) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में उनके विरूद्ध मारपीट का प्रकरण चलने के सुझाव को स्वीकार किया है। बचाव में प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट है कि उक्त घटना दिनांक 22.06.2018 के 8:00 पी.एम. की है तथा उक्त घटना में आहत ईशाक खान के पुत्र मुख्तार खान तथा शालू खान आरोपी हैं। इस प्रकरण का कोई आहत उसमें आरोपी नहीं है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण की घटना दिनांक 22.06.2018 के 11:00 से 11:10 पीएम की है। इस प्रकार उक्त प्रकरण प्रश्नगत प्रकरण का काउंटर प्रकरण होना प्रकट नहीं है तथापि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश होना प्रकट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **धरमवीर विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2010 एस०सी० 1378 के पैरा 15** में कहा गया है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य दुश्मनी के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रंजिश दोनों रास्ते की ओर जाती है, यह फर्जी फंसाये जाने का एक तथ्य है, परंतु दूसरी ओर यह अपराध किये जाने का हेतुक भी है। इसके अतिरिक्त आहतगण ने अपने प्रतिपरीक्षण आरोपीगण को झूठा फंसाये जाने से इंकार किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बचाव पक्ष का तर्क कि

अभियुक्तगण को उनके साथ की गयी मारपीट की कार्यवाही से बचने के लिये झूठा फंसाया गया है, पोषणीय नहीं है।

39. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन करते हुए कि शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि "फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर के समय उसे गंभीर चोट नहीं थी इसलिए धारा 323 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।" ईशाक को आई चोट प्राणघातक नहीं माने जाने का तर्क किया गया है। तर्क पर विचार किया गया। शैलेन्द्र सिंह (अ.सा.08) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में कथन किया है कि उसने क्यूरी रिपोर्ट के लिए जो पत्र भेजा था, उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही प्रकरण में धारा 307 का ईजाफा करके ही पत्र भेजा था क्योंकि गंभीर चोट थी इसलिए पहले ही धारा 307 लेख किया था। डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने मुख्यपरीक्षण में आहत ईशहाक के दांये कंधे तथा छाती में बांये तरफ आर्मपिट के पास चोटें बताई हैं। डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) के अनुसार आहत ईशहाक को छाती में चोटें के कारण उसके फेफडे में हवा भर गयी थी। अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि आहत ईशहाक को बल्लम से एक बार नहीं वरन दो बार प्रहार किया गया है तथा दूसरी चोट 02 सेमी. गुणित 02 सेमी. गुणित 02 सेमी. आकार की होकर छाती जो कि शरीर का मर्म स्थान है, पर है। उपरोक्त तथ्य तथा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत तर्क कि आहत ईशहाक को आई चोट प्राणघातक नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है।

40. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि आहत ईशहाक को फटा हुआ घाव था जो कि रॉड द्वारा आना संभव था जबकि

अभियोजन प्रकरण के अनुसार आहत ईशहाक पर बल्लम से प्रहार किया है जिसके द्वारा फटा हुआ घाव आना संभव नहीं है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि चिकित्सीय साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में आहत को ईशाक को फटा हुआ घाव अपने अभिमत में धारदार वस्तु द्वारा कारित होना बताया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में डॉ. निमिश पटैल (अ.सा.01) ने यह टीप लेख की है कि जप्ती पत्रक में वर्णित लोहे की रॉड से एम.एल.सी. में वर्णित चोट आ सकती है तथा उक्त हथियार खतरनाक होकर जीवन के लिये हानिकारक है। ऐसी दशा में चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है। तर्क पर विचार किया गया। आहत ईशाक (अ.सा.04) ने अपने उपर आरोपी शमीम द्वारा बल्लम से प्रहार करने का अखंडित कथन किया है जिसका समर्थन चक्षुदर्शी साक्षी इकबाल (अ.सा.03), मुन्नी (अ.सा.05) एवं इरफान (अ.सा.06) के द्वारा भी किया गया है। आरोपी शमीम से बल्लम की जप्ती भी प्रमाणित पाई गयी है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार बल्लम पर रक्त के धब्बे पाये गये हैं। उपरोक्त तथ्य तथा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

41. अभियुक्तगण की ऐसी प्रतिरक्षा नहीं है कि आहतगण के द्वारा उन पर प्रथमतः बल प्रयोग किया गया एवं उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग किया, जिसके अनुक्रम में आहतगण को उपहतियां कारित हुई। अभियुक्तगण का ऐसा भी बचाव नहीं है कि आहतगण के द्वारा दिए गए अचानक प्रकोपन के तहत उनके द्वारा प्रहार किया गया। ऐसी दशा में घटना दिनांक व समय पर अभियुक्तगण द्वारा की गयी उपहति स्वेच्छया होना भी प्रमाणित है।

42. ईशाक खान (अ.सा.04) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि शमीम ने उसे बल्लम से मारा था एवं जब उसका भाई इरफान एवं उसका लड़का इकबाल उसे बचाने आये तो शाहरूख ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की थी। इकबाल (अ.सा.03), मुन्नी (अ.सा.05), इरफान (अ.सा.06) ने भी शमीम द्वारा ही ईशाक खान को बल्लम से मारने का कथन किया गया है, परंतु किसी भी अभियोजन साक्षी ने शमीम द्वारा ईशाक खान को बल्लम से प्रहार करते समय आरोपी शाहरूख खान द्वारा किसी सक्रिय भागीदारी का कोई कथन नहीं किया है। इसी प्रकार इकबाल (अ.सा.03), इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी शाहरूख खान द्वारा उनके साथ लाठियों से मारपीट करने का कथन किया है जिसका समर्थन ईशाक खान (अ.सा.04) एवं मुन्नी (अ.सा.05) ने भी किया है, परंतु किसी भी अभियोजन साक्षी ने शाहरूख खान द्वारा इकबाल तथा इरफान के साथ मारपीट करते समय आरोपी शमीम द्वारा किसी सक्रिय भागीदारी का कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है अभियुक्त शमीम खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अनुसरण में इकबाल, इरफान को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्त शमीम के साथ सामान्य आशय बनाया जिसके अनुसरण शमीम ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता।

43. पूर्वोक्त संकलित विवेचना के अनुसार फरियादी/आहत इकबाल (अ.सा.03), आहतगण ईशाक (अ.सा.04), मुन्नी (अ.सा.05), इरफान

(अ.सा.06) का परिसाक्ष्य आरोपी शमीम उर्फ बिटटू खान द्वारा ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में करने कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता एवं अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान द्वारा मुन्नी को धक्का देकर गिराकर साधारण उपहति कारित करने तथा अभियुक्त शाहरूख खान द्वारा मुन्नी, इकबाल एवं इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने के संबंध में विश्वसनीय पाया गया है। आहतगण के अभिसाक्ष्य परस्पर पुष्टिकारक होने के साथ चिकित्सीय साक्ष्य और एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त बल्लम एवं डंडा की जप्ती विश्वसनीय पायी गयी है। घटना दिनांक 22.06.2018 के रात्रि 11:00 बजे से 11:15 बजे की है। दिनांक 23.06.2018 को 01:25 बजे पुलिस को सूचना दी गयी, जिसके बाद दिनांक 23.06.2018 को ही आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। इस प्रकार उक्त सभी कार्यवाही सिलसिलेवार हुई जो अभियोजन प्रकरण को बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य परस्पर पुष्टिकारक है और विद्यमान साक्ष्य से केवल एक ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है कि अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता एवं अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त शाहरूख खान ने मुन्नी, इकबाल एवं इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, परंतु अभियुक्त शमीम खान द्वारा सामान्य आशय के अनुसरण में इकबाल, इरफान को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, अभियुक्त शाहरूख खान द्वारा

सहअभियुक्त शमीम के साथ सामान्य आशय के अनुसरण में ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में करने कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

<u>-:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्षः-</u>

44. इस संबंध में इकबाल (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना दिनांक को रात्रि के 08 बजे आरोपी शाहरूख और शमीम आये थे और उन लोगों को लड़की-बहिन-मां की गालियां देने लगे थे। इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण मादरचोद, लडकी की गालियां दे रहे थे। इकबाल (अ.सा.03) तथा इरफान (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है यद्यपि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इकबाल (अ.सा.03) तथा इरफान (अ.सा.06) ने आरोपीगण द्वारा जान से खत्म कर देने की धमकी देने के इस सुझाव को स्वीकार किया है।

45. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>नौबल मोहनदास विरूद्ध राज्य 1969 सी०आर० एल०जे० 669</u>** में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि धारा 506 भाग-दो भारतीय दंण्ड संहिता के अधीन साबित करने के लिए धमकी का इस अर्थ में वास्तविक होना आवश्यक होता है कि अभियुक्त जो कहता है उसे कर डालने का भाव रखता है और यह कि धमकी का शिकार व्यक्ति वास्तव में धमकी महसूस करे। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्त विश्लेषण से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि

अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता एवं अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त शाहरूख खान ने मुन्नी, इकबाल एवं इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है। ऐसी दशा में मारपीट के समय ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके वास्तविक आशय को प्रयोग में लाये बिना मस्तिष्क की उत्तेजित अवस्था एवं आवेग को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जबकि उभयपक्ष ग्रामीण परिवेश के हो। वर्तमान मामले में भी ठीक यही परिस्थिति है। इरफान (अ.सा.06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी–1 मे गाली गलौच करने वाली बात पुलिस को नहीं बतायी थी, न्यायालय में आज पहली बार बतायी है। इसके अतिरिक्त ईशाक खान जिसके साथ सबसे पहले घटना घटित हुई है, ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। मुन्नी (अ.सा.05) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण शमीम खान, शाहरूख खान द्वारा क्षोभ कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। फलतः उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294,506 भाग–दो का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण शमीम खान, शाहरूख खान ने आहतगण को क्षोभ कारित किया एवं भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

-:विचारणीय बिन्दु क्रमांक 06 का निष्कर्ष:-

46. उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण शमीम खान उर्फ बिटटू खान, शाहरूख खान ने दिनांक 23.06.2018 को रात 11:00 बजे के करीब इकबाल के घर के बाहर कौशल किशोर वार्ड देवरी में आहतगण को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

47. अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त शमीम खान उर्फ बिटटू खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त शाहरूख के साथ सामान्य आशय बनाया जिसके अनुसरण में आरोपी शाहरूख के द्वारा इकबाल, इरफान को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्त शमीम के साथ सामान्य आशय बनाया जिसके अनुसरण में शमीम ने ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। अतः अभियुक्त शमीम खान उर्फ बिटटू खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग 2, 323/34(2 काउंट) तथा अभियुक्त शाहरूख खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग 2 ,307/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

48. अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ईशाक को बल्लम मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने का प्रयास उक्त परिस्थितियों में किया कि यदि ईशाक की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता एवं अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मुन्नी को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि अभियुक्त शाहरूख खान ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मुन्नी, इकबाल एवं इरफान को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त शमीम उर्फ बिटटू खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं 323 (आहत मुन्नी के संबंध में) तथा शाहरूख खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (तीन काउंट) आहत मुन्नी, इरफान एवं इकबाल के संबंध में दोषसिद्ध किया जाता है।

49. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के मत में अभियुक्तगण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

50. अभियुक्तगण शमीम उर्फ बिटटू खान एवं शाहरूख खान जमानत पर है, अतः उनके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं और उन्हें अभिरक्षा में लिया जाये। दंड के प्रश्न पर सुनने के पश्चात दण्डादेश पारित किया जाएगा।

(अनुज कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
देवरी जिला सागर (म०प्र०)

पुनश्चः

51. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री पी.एल. रावत को सुना गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के लिए कठोर दंड की मांग की गई जबकि अभियुक्तगण द्वारा निवदेन किया गया कि यह उनका प्रथम अपराध है । अतः न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

52. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **सेवाका पेरूमल विरूद्ध तमिलनाडु राज्य ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1463** में कहा कि पर्याप्त दंड न देना विधि पर लोगों के विश्वास को कम करेगा तथा जनता स्वयं बदला लेने को आतुर हो जाएगी, इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति तथा जिस ढंग से अपराध किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त दंड दें।

53. आरोपीगण के कृत्य तथा आहतगण को आई उपहति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण शमीम खान उर्फ बिटटू खान एवं शाहरूख खान को निम्नलिखित दंड से दंडादिष्ट किया जाता हैः–

नाम आरोपी	धारा/विधि भा.दं.सं.	कारावास/ साधारण या कठिन	अर्थदंड रूपये	अर्थदंड के व्यतिक्रम में कारावास साधारण/ कठोर
शमीम खान उर्फ बिटटू खान पिता यासीन खान	307 (आहत ईशाक के संबंध में)	7 वर्ष का कठोर कारावास	2000/– (दो हजार) रूपये का अर्थदंड	तीन माह का कठोर कारावास
	323 (आहत मुन्नी के संबंध में)	–	500/– (पांच सौ) रूपये का अर्थदंड	एक माह का साधारण कारावास

शाहरूख खान पिता यासीन खान	323(दो काउंट) आहत मुन्नी एवं इरफान के संबंध में	–	प्रत्येक आहत के संबंध में पृथक–पृथक 500–500/– रूपये का अर्थदंड	एक–एक माह का साधारण कारावास
	323 आहत इकबाल के संबंध में	न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि दिनांक 23.07.2018 से 03.11.2018 तक	500/– रूपये का अर्थदंड	एक माह का साधारण कारावास

54. अर्थदंड के व्यतिक्रम पर अभियुक्त शमीम खान की सजा मूल करावास के बाद चलेंगी। अभियुक्त शमीम खान द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी।

55. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण जांच एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं–प्र–सं– का प्रमाण पत्र दो प्रति में तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

56. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बल्लम, बांस का डंडा एवं कपडे इत्यादि मूल्यहीन होने से अपील न होने पर अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावें तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जावें।

57. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदंड की राशि जमा किये जाने पर उसमें से 2000 (दो हजार) रूपये की राशि आहत ईशाक तथा 500–500 (पांच सौ–पांच सौ) रूपये की राशि आहत मुन्नी , इरफान एवं इकबाल को प्रतिकर के रूप में

अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में दी जाये और अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाये।

58. अभियुक्त शमीम खान उर्फ बिटटू खान को सुसंगत सजा वारण्ट तैयार कर धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रमाण पत्र सहित अधिरोपित दंडों को भुगतने के लिए सुसंगत कारागार भेजा जावे।

59. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

60. दं.प्र.सं. की धारा 365 के प्रावधान के अनुसार निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सागर को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया।	मेरे उदबोधन पर टंकित।
(अनुज कुमार**)** अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश देवरी जिला सागर (म०प्र०)	**(**अनुज कुमार**)** अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश देवरी जिला सागर (म०प्र०)

ANUJ KUMAR Digitally signed by ANUJ KUMAR Date: 2023.03.23 17:14:46 +0530